165

सं0– /IV(2)-शा0वि0–04(सा0)–2014टी0सी0

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड शासन।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर 2014

विषय : नगरपालिका परिषद, भवाली को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने अपने पत्रांक–738/शा0वि0नि0–728/2010, दिनांक 15.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, भवाली के क्षेत्रान्तर्गत "Re-Construction of R/ Wall (Chak-Dam) work at ward No. 4 near back site of Satish Tant House (Bhawali)" कार्य हेतु ₹9.33 लाख का प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, भवाली क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) द्वारा संस्तुत धनराशि कुल **₹9.33 लाख (रूपये नौ लाख तैतीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि ₹9.33 लाख (रूपये नौ लाख तैतीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, भवाली को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(iii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(v) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(vii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(viii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(ix) प्रश्नगत कार्य की थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग हेतु प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(x) धनराशि का दिनांक 31–3–2015 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xi) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

..2/-....

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹7.19 लाख, के अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'42 अन्य व्यय के नामे ₹1.77 लाख, तथा के अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹0.37 लाख डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0- 364/XXVII(2)/2014, दिनांक 26.09.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28-03-2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी सं0 S 14-10/300.21 — S 14-10300022 एवं S 14/03/00.2.4 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0-1118 (1)/IV(2)-श0वि0-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, भवाली।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।